

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

## आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 48 J.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई बारे में
------------------------	--------------------------------	--------------------------------


28/10/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती मौली दाल पिता/पति स.र.द.म.द.स.स.  
मौजा अड़की थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- .....  
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 02 / 88-89 के आधार पर दर्ज है।  
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के कमुवन्वजानि के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

### भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>अड़की</u>	<u>264</u>	<u>145</u>	<u>659</u>	<u>1.70 एकड़</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 07/11/2020 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी  
अड़की।




07/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती मौजी जार पिता/पति पट्टमोहन जार मौजा- अड़की थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा- अड़की थाना नं० 264 खाता सं० 659/145 प्लॉट सं० 659 रकबा- 1.70 एकड़ लगान 5.30 रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा- अड़की थाना नं० 264 के पंजी- II भौलुम (VOL- 12) के पृष्ठ संख्या- 06 पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।